



क्रमांक 648/बै.प्र./कार्यपरिषद्/2025

बिलासपुर, दिनांक : 25.11.2025

कार्यालयीय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, संशोधित परिनियम 11(1)(vi) के प्रावधानानुसार कुलपति महोदय द्वारा प्रो० सी.एस. वज्रलवार, आचार्य, अधिष्ठाता-शिक्षा विद्यापीठ के स्थान पर प्रो० रत्नेश सिंह, आचार्य, अधिष्ठाता-शिक्षा विद्यापीठ को कार्यपरिषद् में सदस्य नामांकित किया गया है।

कार्यपरिषद् में सदस्य के रूप में प्रो० रत्नेश सिंह, आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग का कार्यकाल शिक्षा विद्यापीठ के अधिष्ठाता के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार/By Order

कुलसचिव/Registrar

पृ० क्रमांक 649/बै.प्र./कार्यपरिषद्/2025

बिलासपुर दिनांक : 25.11.2025

प्रतिलिपि/Copy to :-

- 1) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2) कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
- 3) संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 4) कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
- 5) संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
- 6) प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबपटल/निदेशक, आईक्यूएसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7) कार्यालय प्रति।

कुलसचिव/Registrar